

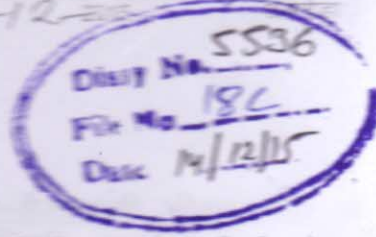
कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स : 05962.232182 ई-मेल : almoradivision@rediffmail.com

पत्रांक 3000 / 121C2 दिनांक 10-12-2015

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।



विषय :- जनपद अल्मोड़ा में पतगांव-चन्द्रखान-ईलापनी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे० वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लोअनियुक्ति को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय देहरादून की पत्र सं०-8 सी०/यू०सी०पी०/०६/129/2015/एफ०सी०/1865 दि० 13.11.2015 एवं नोडल अधिकारी, देहरादून की पत्र सं० 1504/एफ०पी०/यू०के०/रोड/11082/2015 दि० 18.11.2015

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सैद्धांतिक शर्तों के क्रम में वन विभाग के पक्ष में जमा की जाने वाली धनराशि का भुगतान निम्न प्रकार करने का कष्ट करें।

शर्त सं० 1 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु वर्तमान दरों के अनुसार धनराशि रु० 553410.00 (रु० पांच लाख तिरपन हजार चार सौ दस रु० मात्र)

शर्त सं० 2 में एन०पी०वी० धनराशि रु० 1271295.00 (रु० बारह लाख इकहत्तर हजार दो सौ पचास मात्र) जमा करनी है।

शर्त सं० 5 के अनुसार सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ सम्भव हो रोड के साइड तथा Central verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जायेगी। इस आशय का वचन बढ़ता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

(Handwritten signature in red ink)

भवदीय

(Handwritten signature)

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

पत्रांक 3000 /

दिनांकित

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर कारेस्ट कालौत्री उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(Handwritten signature)
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा